राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट **जयपुर, दिनांक : 06 JUL 2022**

आदेश

विषयः Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 13–05–2022

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30–9–2021 तक के चिकित्सा दावे जो दिनांक 30–4–2022 तक आहरण एवं वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, का भुगतान दिनांक 15–6–2022 तक करने हेतु एतदद्वारा अवधि बढ़ाई गई थी।

इसी प्रकार RGHS के अन्तर्गत दिनांक 1–11–2021 से ओपीडी चालू हुई थी। अतः दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 की अवधि में जिन कर्मचारियों / पेंशनरों द्वारा RGHS कार्ड के आधार पर उपचार कराकर औषधि क्रय की है, उनके चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे प्राप्त हो रहे हैं।

अतः उपरोक्त संदर्भ में विचार किया जा कर यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 30–9–2021 तक के तथा दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 की अवधि के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे भी अब सिर्फ आरजीएचएस के पुनर्भरण माड्यूल पर ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इस मॉड्यूल में, दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 की अवधि के उपरोक्तानुसार चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण दावे RGHS कार्ड होने तथा राज्य के HCNP (राजकीय / अनुमोदित / पीपीपी चिकित्सालय) में उपचार कराने पर ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत कालातीत क्लेमों को भी RGHS Portal पर इस शर्त के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यदि क्लेम नियमों के अन्तर्गत कालातीत है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति RGHS पोर्टल पर कालातीत क्लेम के साथ संलग्न होना आवश्यक है और परियोजना निदेशक, RGHS कालातीत क्लेम की सक्षम स्वीकृति की पुष्टि के उपरान्त ही क्लेम को पुनर्भरण की कार्यवाही हेतु प्रोसेस करेंगे।

यह आदेश पेंशनर्स के उपरोक्तानुसार चिकित्सा दावों के निस्तारण हेतु भी प्रभावी होगा।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. परियोजना निदेशक, RGHS को भेज कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार आदेश के कम में RGHS पोर्टल में शीघ्र आवश्यक प्रावधान कर लिये जावें ताकि तदनुसार क्लेम का निस्तारण किया जा सके।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
13. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
14. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

6/7/22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 27 / 2022)